समाहरणालय, मधुबनी
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

–: निविदा सूचना :–

सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत वस्त्र वितरण कार्याक्रम के तहत सहायक अनुदान मद से जिले के भूमिहीन/अपंग/निर्धन/असहाय/भिक्षुक व्यक्तियों के बीच मो0 274000=00 (दो लाख चौहत्तर हजार) रूपये मात्र का धोती, साड़ी, चादर (सूती) एवं कम्बल (ऊनी) क्रय किया जाना है। जिसके लिए निम्नलिखित शर्तों पर मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है :–

1. निविदा में कम्बल एवं धोती, साड़ी चादर (सूती) का वजन अंकित करना होगा साथ ही मुहरबन्द कम्बल, धोती, साड़ी चादर (सूती) का नमूना भी समर्पित करना होगा। कम्बल का मुल्य अधिकतम 150 रू0 प्रति कम्बल से कम एवं न्यूनतम वजन 1.700 (एक किलो सात सौ ग्राम) होना चाहिए।
2. प्रथम मुहरबंद लिफाफा में तकनिकी निविदा समर्पित की जाएगी। जिसमें सभी वांछित कागजात यथा आचरण प्रमाण पत्र, वैट एवं बिक्री कर से निबंधन प्रमाण–पत्र तथा पैन नं0 एवं आयकर भुगतान प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ सलंग्न करना होगा एवं प्रमाण–पत्र के साथ जमानत की राशि से संबंधित बैंक ड्राफ्ट समर्पित किये जायेगे। वित्तीय मुहरबंद लिफाफा में साम्रगी का दर समर्पित किये जायेगे। प्रथम लिफाफा पर तकनिकी निविदा एवं दूसरे लिफाफा पर वित्तीय निविदा सुस्पष्ट बड़े अक्षरों में अंकित किया जाएगा। प्रथमतः तकनिकी निविदा खोली जाएगी तथा उक्त निविदा में योग्य पाए गए निविदादाताओं के दरों से संबंधित वित्तीय निविदा के लिफाफे खोली जाएगी।
3. उपरोक्त साम्रगी आपूर्ति हेतु निबंधित व्यवसायिक/सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के मुहरबन्द निविदा दिनांक 27.12.14 को 3 बजे अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है, जिसे सामाजिक सुरक्षा कोषांग, समाहरणालय, मधुबनी द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
4. सभी निविदा के साथ प्रतिभूति राशि मो0 10000=00 (दस हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पदनाम से संलग्न करना होगा।
5. सभी निविदा जिला क्रय समिति के समक्ष दिनांक 27.12.14 को अपराह्न 4 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ट में खुलेगी, जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।
6. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. निविदादाता को निविदा के साथ एक शपथ–पत्र देना होगा कि उनके फर्म का नाम काली सूची में दर्ज नहीं है।
8. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का एवं एक से अधिक निविदादाताओं को आपूर्ति करने का आदेश निर्गत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
9. आपूर्तिकर्त्ता को अलग से परिवहन एवं मजदूरी की राशि देय नहीं होगी।

06/12/14

जिला पदाधिकारी
मधुबनी।